

1

JUDICIAL MAGISTRATE FIRST CLASS

८७ के० गुप्ता

Order of Proceedings मसिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

Case No. ६००३५१/१६
Signature of
Parties of
pleaders where
Necessary

आज्ञा आदेशी केन्द्र मसिस्ट्रेट के उपाधीक्षक / सहायक
उपाधीक्षक / प्रधान आदेशी की ओर से अपराध
क्र० ११८/१६ द्वारा भानु प्रताप ३५४/१६ अधिनियम के अधीन दण्डनीय
भा० ६०४०४० के संबंध में अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग
पत्र / परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया।
राज्य द्वारा ए०डी०पी०३ओ० धर्म उप०।

अभियुक्त / अभियुक्तगण मसिस्ट्रेट ५१० मसिस्ट्रेट
दुरावा १९ निवासी / निवासिगण दुरावा पुरा
शाना मसिस्ट्रेट जिला मसिस्ट्रेट राज्य से अधिवक्ता
उपस्थित। अभियुक्त / अभियुक्तगण की ओर से अधिवक्ता
श्री द्वारा मेमोरिएल / तक्रालतनामा प्रस्तुत
किया।

अभियोग पत्र / परिवाद पत्र समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण में संज्ञान के विषय पर विचार किया गया। अभियोग पत्र / परिवाद पत्र व प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्तानुसार भा० ६०४०४० / अधिनियम के अधीन कार्यवाही किये जाने के आधार प्रकट हो रहे हैं। अतः अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा १९०--(१) ५०४०४० के अधीन संज्ञान पत्र का आदेश किया जाता है।

प्रकरण का पंजीयन आदेशिक पत्र ६००३५१/१६ में दर्ज किया जावे।

अभियुक्त / अभियुक्तगण मसिस्ट्रेट ५१० के अधीन प्रावधानों के प्रकाश में अभियोग पत्र एवं दस्तावेजों का निशुल्क दिलाया

54

मानता सक्षिप्त विचारणीय है। अतः रसिक्षिप्त विचारण प्राप्त
किया गया।
भा० दंड० सं० / २५-८/४१

धारा के अधीन अपराध की विशिष्टियां विरचित कर अभियुक्त
अधिनियम के अनुाये और समझायें जाने पर अभियुक्त ने अपराध
को पढ़कर स्वीकार किया। अतः अभिवाक् यथा संगत उसके
करना स्वेच्छया किया गया।

शब्दों में लक्षित की अपराध की स्वीकारोक्ति को ध्यान में रखते हुए निर्णय प्रशक्त से दत्तित कराकर हस्ताक्षरित, दिनांकित, गुद्रांकित कर घोषित किया गया। अभियुक्त को उक्त अपराध के अधीन दोषसिद्ध करते हुए न्यायालय अवसान तक की अवधि के दण्ड एवं रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

निर्णय की निःशुल्क प्रति अभियुक्त को प्रदान कर पावती ली जाये।

जप्तसुदा संपत्ति.....~~रूपये~~ राजसात
विजये जायें। संपत्ति.....~~मूल्यहीन होने से नष्ट कर~~
व्ययनित की जाये। जप्तसुदा वाहन की दशा में वाहन उसके स्वामी
को लौटाया जाये। सुपुर्दगी की दशा में सुपुर्दगीनामा निरस्त किया
जाता है तथा अपील की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के
आदेशों का पालन हो।

प्रकरण का परिणाम आपराधिक पंजी में पंजीबद्ध कर विहित अवधि में अभिलेख संचयन हेतु आवश्यक प्रतिपूर्ति उपरांत अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

12.5/20

निर्णयानुसार अभियुक्त / अभियुक्तगण ने अर्थदण्ड की राशि
 क० ५६२५ रुपये अदा की जिसकी पावती बुक
 रसीद : क० ५७ दी गई।
 अभियुक्त / अभियुक्तगण को सजा भुगताने गई।

प्रकरण उपरोक्त निर्देश अंगत हो

मार्गिक मजिस्ट्रेट पण